



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277277
CG-DL-E-19102026-277277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 822]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 893(अ).— केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 49 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एक इकाई द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं को निम्नलिखित मामलों में इकाई में वापस लाया जा सकता है-

(क) जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) का खरीददार फैशन में पालन न करने में परिवर्तन, बाजार की स्थितियों में बदलाव या बिक्री से संबंधित समझौते की शर्तों के कारण माल की डिलीवरी लेने में विफल रहता है, तो ऐसे शुल्क

भुगतान वाली वस्तुओं को एसईजेड इकाई से निकासी की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईकाई द्वारा वापस लाया जाना चाहिए, जो कि इस शर्त के अधीन होगा कि—

(i) माल की पहचान विनिर्दिष्ट अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्थापित की जाए;

(ii) यह इकाई विनिर्दिष्ट अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार यह प्रमाण प्रस्तुत करती है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र के उस खरीदार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठाया गया है, जिसने वस्तुओं की डिलीवरी लेने में विफलता दिखाई है; और

(iii) यूनिट द्वारा इस तरह के वापस आए वस्तु की एक अलग सूची को ऑडिट योग्य प्रारूप में रखा जाता है।

(ख) इकाइयों को माल की मूल स्थिति में बिना किसी परिवर्तन के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उसी खरीदार को या किसी अन्य खरीदार को अधिनियम की धारा 30 के तहत लागू शुल्क के भुगतान पर उक्त माल को फिर से बेचने की अनुमति है, जैसे की यह घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एक नई बिक्री हो।

(ग) मूल निकासी के समय भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के नियम 47 के उप-नियम (5) के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। इस प्रकार वापस प्राप्त माल पर शुल्क की वापसी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(घ) ऐसे मामलों में जहां किसी इकाई द्वारा लागू शुल्कों के भुगतान पर घरेलू शुल्क क्षेत्र को आपूर्ति की गई वस्तुओं की मरम्मत की जानी है, ऐसी वस्तुओं को मरम्मत के उद्देश्य से निकासी की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर या वारंटी अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, इकाई में वापस लाया जाएगा। यह मरम्मत के मूल्य पर शुल्क के भुगतान और इस शर्त के अधीन होगा कि वस्तुओं की पहचान विनिर्दिष्ट अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्थापित हो जाए।

[फा. सं. के-43014/11/2024- एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.54(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि 609(अ), दिनांक 9th जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

G.S.R. 893(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 49, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(2) Goods supplied by a Unit into Domestic Tariff Area on payment of duty may be brought back to the Unit in the following cases, —

(a) Where a Domestic Tariff Area buyer fails to take delivery of the goods due to change in fashion, change in market conditions, or default in conditions of agreement relating to the sale, such duty paid goods shall be brought back by the Unit within thirty days from the date of clearance from the SEZ Unit subject to the condition that, –

(i) the identity of the goods is established to the satisfaction of the Specified Officer;

(ii) the Unit provides evidence, to the satisfaction of the Specified Officer, that no benefits including input tax credit have been availed by the Domestic Tariff Area buyer who has failed to take delivery of the goods; and

(iii) a separate inventory of such returned goods is maintained by the Unit in auditable format;

(b) the Units are permitted to re-sell the said goods without any alteration of the original condition of the goods, in the Domestic Tariff Area either to the same buyer or to different buyer on payment of applicable duty under section 30 of the Act as if it is a fresh sale in the Domestic Tariff Area;

(c) the refund of duty paid at the time of original clearance shall be made with the appropriate authority in accordance with sub-rule (5) of rule 47 and the refund of duties on goods so received back shall be in terms of the provisions of the Customs Act, 1962;

(d) in cases where repairs are to be carried out on the goods supplied by a Unit to the Domestic Tariff Area on payment of applicable duties, such goods shall be brought back to the Unit for the purpose of repair within a period of six months from the date of clearance or within such period as may be extended by the Specified Officer or within the warranty period whichever is later, on payment of duty on the value of repairs subject to the condition that the identity of the goods is established to the satisfaction of the Specified Officer."

[F. No. K-43014/11/2024-SEZ]

VIMAL ANAND, Joint Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 609(E) dated the 9th July 2026.